

स्वदेश ज्योति



OMKARA
ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U67100TZ2014PTC020363

रजि. कार्यालय: 9, म.प्र. नगर, पहलो स्ट्रीट, कौगु नगर एक्सटेशन, तिरुपुर-641607.

कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्वयावर, 47वीं मंजिल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028 फ़ोन: 022-6923 1111

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल और चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित 9(1)

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित है, जिसका भौतिक कब्जा इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (आईआरएपीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे दिखाए गए संबंधित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (ओं), गारंटरो/बंधककर्ताओं से सुरक्षित लेनदार के रूप में ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) को 31.07.2025 तक देय 6,24,29,021/- रुपये (केवल छह करोड़ चौबीस लाख उनतीस हजार इक्कीस भारतीय रुपये) की वसूली के लिए जैसा है जहां हैर, "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के आधार" पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और न्यूनतम जमा राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित की गई है। (मूल ऋणदाता) ने 05.11.2019 को नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं का ऋण IRAPL को सौंप दिया था, जो इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II का ट्रस्टी है। इसके अलावा, दिनांक 16.08.2024 के प्रतिभूति रसीद क्रय समझौते के तहत, OARPL, IRAPL के स्थान पर इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II का ट्रस्टी बन गया है और अब वह समनुदेशक की भूमिका में आ गया है और बकाया राशि वसूलने तथा प्रतिभूति लागू करने के लिए अधिकृत है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	उधारकर्ता: सुश्री गुप्ता एंड कंपनी सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर: प्रभादेवी गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता
धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि	13(2) नोटिस 23.10.2018 को जारी किया गया
कब्जे की तिथि	13(4) भौतिक कब्जा 22.05.2024 को लिया गया
संपत्ति का विवरण	मद A. मकान संख्या 16/103, नया मकान संख्या 38/103, क्षेत्रफल 14 फीट 9 इंच 20 फीट 295 वर्ग फीट यानी 27.42 वर्ग मीटर का वह पूरा हिस्सा, जो मौजा रायपुर खास, तात्यापारा वार्ड संख्या 38, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व: सड़क पश्चिम: विक्रेता की जमीन उत्तर: गोविंद राव की संपत्ति दक्षिण: सुशील कुमार की संपत्ति (बिक्री विलेख दिनांक 23-11-2006, दस्तावेज संख्या 3578(G) पुस्तक संख्या A1, खंड 35228, पृष्ठ 19 से 28 के रूप में उप-पंजीयक, रायपुर के कार्यालय में पंजीकृत।) मद B. मकान संख्या 16/103, नए मकान संख्या 38/103, खसरा संख्या 205, प. ह. न. 106-A में, 1505 वर्ग फुट यानी 139.87 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला, मौजा रायपुर खास, तात्यापारा, वार्ड संख्या 38, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित, का पूरा टुकड़ा। सीमाएँ: पूर्व: विक्रेता की जमीन पश्चिम: मोहम्मद की संपत्ति। अफ़सल हुसैन उत्तर: गोविंद राव की संपत्ति दक्षिण: सुशील कुमार की संपत्ति (बिक्री विलेख दिनांक 29-11-2006, दस्तावेज संख्या 3677(जी), पुस्तक संख्या A1, खंड 35271, पृष्ठ 53 से 63 के रूप में उप-पंजीयक, रायपुर के कार्यालय में पंजीकृत।) मद C. मकान संख्या 30/130, 130/1 और 131 के नगरपालिका भाग का वह पूरा टुकड़ा, जो मकान संख्या 16/103, नए मकान संख्या 38/103 का हिस्सा है, खसरा संख्या 205, प. ह. न. 106-ए में, 400 वर्ग फुट यानी 37.17 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में, मौजा रायपुर खास, तात्यापारा, वार्ड संख्या 38, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व: विक्रेता की जमीन पश्चिम: हसन अहमद की जमीन उत्तर: अजय गुप्ता की जमीन दक्षिण: गली (लेन) (बिक्री विलेख दिनांक 09-01-2007, दस्तावेज संख्या 6286(K), पुस्तक संख्या A1, खंड 35682, पृष्ठ 39 से 48 के रूप में उप-पंजीयक, रायपुर कार्यालय में पंजीकृत।) तत्परचात निर्मित भवन उपरोक्त संपत्तियों (A, B और C) पर निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल 703.21 वर्ग मीटर है, जिसमें शामिल है: भूतल (RCC छत): 176.50 वर्ग मीटर, द्वितीय तल (RCC छत): 176.50 वर्ग मीटर, तृतीय तल (RCC छत): 176.21 वर्ग मीटर, चतुर्थ तल (RCC छत): 124.29 वर्ग मीटर। चौथी मंजिल (जी.आई. टिन शेड छत): 49.42 वर्ग मीटर।
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	1,82,70,000/- रुपये (केवल एक करोड़ बयासी लाख सत्तर हजार रुपये)
ईएमडी (रुपये में)	18.27,000/- रुपये (केवल अठारह लाख सत्ताईस हजार रुपये)
बोली वृद्धि.	INR 1,82,700 (केवल एक लाख बयासी हजार सात सौ रुपये)
निरीक्षण दिनांक/समय	19.09.2025 को दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच
ईएमडी भुगतान की अंतिम तिथि और बोली जमा करने की अंतिम तिथि	06.10.2025 शाम 5:00 बजे तक
ई-नीलामी तिथि और समय	07.10.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

नोट: कोई ज्ञात भार नहीं

नीलामी के नियम एवं शर्तें:

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया <http://omkaraare.com/auction.php> और/या <https://www.auctionbazaar.com/> पर दिए गए लिंक पर जाएं। नीलामी OARPL के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों में) NEFT/RTGS के माध्यम से बैंक खाता संख्या: 57500000340699, IFSC कोड: HDFC0000060 पर अग्रिम राशि के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 06.10.2025, शाम 5:00 बजे तक है। इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता रमेसर्स एआरसीए ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं, सपोर्ट लैडलाइन नंबर/मोबाइल नंबर: 8370969696 हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: contact@auctionbazaar.com/support@auctionbazaar.com, संबंधित व्यक्ति: श्रीमती एम. किरणमई, मोबाइल नंबर 7997043999, ईमेल- kiran@auctionbazaar.com और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी, श्री हर्षवर्धन कदम (मो: 9819058003) मेल: harshwardhan.kadam@omkaraare.com से संपर्क करें।

वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री हेतु वैधानिक सूचना

यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) r/w 9(1) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं) के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है और साथ ही यह सलाह भी दी जाती है कि यदि वे चाहें तो लागत और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके आस्तियों को छुड़ा सकते हैं। भुगतान में चूक की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार के विवेक पर संपत्ति को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और शोधन अधिनियम 2016 की धारा 29ए के तहत घोषणा करनी होगी।

दिनांक: 09.09.2025

हस्ताक्षरित/-प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

स्थान: मुंबई

(इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)